पत्रांक – 6591
दिनांक – 12-08-26

<u>अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग सुपौल से पटना पर निर्गत परमिट संख्या– **BR2026-SC-0737A** के औपबंधिक समय–सारणी पर प्राप्त आपत्ति पर दिनांक–14.07.2026 को आहूत सुनवाई की कार्यवाही :–</u>

परमिटधारी का नाम, वाहन संख्या, परमिट संख्या एवं मार्ग	आपत्तिकर्ता का नाम, वाहन संख्या, परमिट संख्या एवं मार्ग	प्राधिकार का निर्णय
श्री सुधीर कुमार सिंह, BR06PC-6625, BR2026-SC-0737A सुपौल से पटना	श्रीमती सावित्री मिश्रा BR06PA-8209 BR2021-SC-1245A सुपौल से पटना	प्रस्तुत मामले में परमिटधारी श्री सुधीर कुमार सिंह उपस्थित। आपत्तिकर्ता श्रीमती सावित्री मिश्रा की तरफ से उनके प्रतिनिधि श्री पंकज कुमार सिंह उपस्थित। प्रस्तुत मामले में आपत्तिकर्ता श्रीमती सावित्री मिश्रा की तरफ से उपस्थित उनके प्रतिनिधि द्वारा श्री सुधीर कुमार सिंह के वाहन सं०– BR06PC-6625 के पक्ष में अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग सुपौल से पटना पर निर्गत परमिट संख्या– BR2026-SC-0737A के औपबंधिक समय–सारणी पर आपत्ति करते हुए अवगत कराया गया कि श्रीमती सवित्री मिश्रा के वाहन सं०–BR06PA-8209 के पक्ष में सुपौल से पटना मार्ग पर परमिट संख्या–BR2021-SC1245A निर्गत है एवं आवेदक को निर्गत औपबंधिक समय–सारणी में आवेदक के वाहन का बहेरी से प्रस्थान का समय 07:59 बजे है, जबकि आवेदक का बहेरी से प्रस्थान का समय 07:58 बजे है। इसी प्रकार आवेदक के वाहन का इलमासनगर से प्रस्थान का समय 08:49 बजे है, जबकि आवेदक का भी इलमासनगर से प्रस्थान का समय 08:49 बजे है तथा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों का मार्ग 100 प्रतिशत समान है। राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की दिनांक–12.01.2021 एवं दिनांक–29.10.2021 को लिए गए नितिगत निर्णय के अनुसार आवेदक के प्रस्तावित समय–सारणी के प्रारंभ एवं पहुँच बिन्दु पर टकराव की स्थिति में समान्यतः 04 मिनट का अंतराल एवं मध्यं बिन्दु पर टकराव की स्थिति में समान्यतः 02 मिनट के अंतराल रखते हुए समय–सारणी स्वीकृत किया जाना प्रावधानित है।

		अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुधीर कुमार सिंह के वाहन सं०– BR06PC-6625 के पक्ष में अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग सुपौल से पटना पर निर्गत परमिट संख्या– BR2026-SC-0737A के समय–सारणी में ब़हेरी से प्रस्थान का समय 07:58 बजे के स्थान पर 08:00 बजे एवं इलमासनगर से प्रस्थान का समय 08:49 बजे के स्थान पर 08:51 बजे संशोधित करते हुए समय–सारणी को परमिट की वैधता तक स्थायी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11.8.26

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन प्राधिकार–सह–राज्य
परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।